**पत्र सं0-विधि 4(3)/डि0कमि0 एवं रा0प्र0/2018-19//** 681 / 18.3.19 **//वाणिज्य कर।**

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(विधि अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 18 मार्च, 2019

**समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,**
**समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,**
**उत्तर प्रदेश।**

माननीय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेषित पत्र सं0 2469 दिनांक 27.06.2018 से यह तथ्य प्रकाश में आया कि माननीय अधिकरण के समक्ष विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तैनात/नामित डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि तथा असि0 कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि द्वारा अधिकांश मामलों में मा0 अधिकरण के समक्ष विभागीय पक्ष पूरी तैयारी किये बिना प्रस्तुत किया जा रहा है, कुछ मामलों में विभाग के राज्य प्रतिनिधि गण द्वारा सुनवाई हेतु नियत तिथियों पर पत्रावली उपलब्ध न होने के आधार पर स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं। नियमित राज्य प्रतिनिधि की उपलब्धता न होने पर मा0 अधिकरण के समक्ष विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्थानीय स्तर पर खण्ड कार्यालय में तैनात अधिकारियों की अस्थाई/साप्ताहिक रोस्टर ड्यूटी लगायी जाती है। अस्थाई/साप्ताहिक रोस्टर ड्यूटी लगाये जाने से सम्बंधित अधिकारियों द्वारा राज्य प्रतिनिधि से सम्बंधित कार्यों में पर्याप्त रुचि प्रदर्शित नहीं की जाती है। रोस्टर ड्यूटी हेतु नामित अधिकारियों के मध्य परस्परिक समन्वय न होने के कारण मा0 अधिकरण के समक्ष सुनवाई हेतु नियत वादों के तथ्यों से वाद की पैरवी हेतु नामित अधिकारी पूर्णत: भिज्ञ नहीं होते। यह स्थिति किसी भी दशा में उचित नही है।

मा0 अधिकरण के समक्ष सुनवाई हेतु नियत मामलों में महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु निहित होते हैं तथा यह मामले राजस्व की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं, इस श्रेणी के वादों के महत्व के दृष्टिगत मुख्यालय के परिपत्र सं0-न्याय-पुनरीक्षण/2016-17/1201/वा0क0 दिनांक 20 मार्च, 2017 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके महत्वपूर्ण अंश निम्नवत हैं -

**"अत: निर्देशित किया जाता है कि युगल पीठ के समक्ष दायर अपीलों में प्रभावी पैरवी हेतु जोनल एडीशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में जोनल कमेटी का गठन किया जाये, जिसमें जोन में कार्यरत अच्छा विधिक ज्ञान रखने वाले कम से कम दो ज्वाइण्ट कमिश्नर एवं दो डिप्टी कमिश्नर तथा डिप्टी कमिश्नर को राज्य प्रतिनिधि, असिस्टेंट कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि व सम्बंधित मामले के कर निर्धारण अधिकारी को सदस्य के रुप में नामित किया जाएगा तथा इस समिति की बैठक प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में आयोजित की जाएगी। बैठक में गत माह युगल पीठ के समक्ष दायर समस्त अपीलें डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि द्वारा कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तथा समिति द्वारा प्रत्येक अपील पर विचार करते हुये उसके महत्वपूर्ण विधिक बिन्दुओं एवं उन बिन्दुओं पर उपलब्ध न्यायिक निर्णयों को रेखांकित किया जाएगा, जिनका उल्लेख करते हुये डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक मामले में लिखित कथन तैयार कर मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। समिति की बैठक का कार्यवृत्त प्रत्येक माह की 20 तारीख तक मुख्यालय के वाद अनुभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।"**

मुख्यालय द्वारा पूर्व में दिये गये उक्त निर्देशों का सम्यक अनुपालन नही हो रहा है। उक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत मा0 अधिकरण के समक्ष सुनवाई हेतु नियत वादों की प्रभावी पैरवी हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं-

1. मा0 अधिकरण के समक्ष सुनवाई हेतु प्रत्येक सप्ताह नियत मामलों की सूची ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर सम्भाग 'ए' द्वारा अपने कार्यालय में मंगाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सुनवाई हेतु नियत तिथि पर विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नामित अधिकारी सुनवाई हेतु नियत मामलों के सभी तथ्यों का सम्यक अध्ययन करने के उपरान्त ही विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु मा0 अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों।
2. नियमित राज्य प्रतिनिधि की तैनाती न होने की दशा में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध डिप्टी कमिश्नर्स में से वरिष्ठतम एवं सुभिज्ञ डिप्टी कमिश्नर का चयन करके निरन्तरता के दृष्टिगत दीर्घ कालिक ड्यूटी लगायी जाए।
3. राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण मामलों में नामित राज्य प्रतिनिधि के साथ विभाग का पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सम्बंधित खण्ड के डिप्टी कमिश्नर की ड्यूटी भी लगायी जा सकती है।
4. प्रत्येक मामले में विभाग का पक्ष मा0 अधिकरण के समक्ष सबल ढ़ग से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
5. उक्त निर्देशों के अतिरिक्त मुख्यालय द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र सं0-न्याय-पुनरीक्षण/2016-17/1201/वा0क0 दिनांक 20 मार्च, 2017 से दिये गये उपरोक्तानुसार अंकित निर्देशों के अनुरुप अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा वाद अनुभाग को वांछित सूचना नियमित रुप से उपलब्ध करायी जाए।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।